

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र०सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	120012096011	कृष्णा सिंह, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	—	महोदय, विगत वर्ष में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून के ज्ञाप संख्या 474/05 ब्यख-स्थानान्तरण/24 दिनांक 10.06.2025 द्वारा प्रार्थी का क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा से विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून में किए गए स्थानान्तरण के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 993/2025 दायर की गई थी। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा मेरे उक्त रिट पर स्थगन आदेश (Stay order) पारित किये गये हैं, किन्तु आतिथि तक विचाराधीन रिट पर निर्णय/सुनवाई नहीं हुई है, प्रार्थी का स्थगन आदेश (Stay order) यथावत बना हुआ है। जिसके क्रम में प्रार्थी आतिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा में कार्यरत है। दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में प्रार्थी का नाम क्रम संख्या-4 पर अंकित है। अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उक्त आदेशों के क्रम में निर्णय/सुनवाई तक प्रार्थी को अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- कृष्णा सिंह

पदनाम- वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- डी०एस० ह्यांकी,

पदनाम- मुख्य अभियन्ता

✓ OK  
सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का

प्रारूप-1

क्र०सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	42270313M00290	महेन्द्र सिंह बिष्ट, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	—	महोदय वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्रस्तर-17(2)(घ) के प्राविधान के अनुसार संघ के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में छूट प्रदान करने का प्राविधान है। मैं वर्तमान में अपने संगठन प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता मिनिस्ट्रियल संवर्ग संघ में मण्डलीय महामंत्री (कुँमाऊ क्षेत्र) के पद पर आसीन हूँ जिसके क्रम में मुझे अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त करते हुए छूट प्रदान की जाय। संलग्न- संघ का पत्रांक-24/मि०ए० प्रमुख/मुख्य अभियन्ता संवर्ग, दिनांक 25.04.2025।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- महेन्द्र सिंह बिष्ट

पदनाम- वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- डी०एस० हयांकी,

पदनाम- मुख्य अभियन्ता

OK

गम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र० सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
0	420055731	इल्तुल ग़ाडियाल वरिष्ठ सहायक	मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग	① क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण देहशून। ② मुख्य अभियन्ता रा०/भा० देहशून। ③ मुख्य अभियन्ता सि०/भा० देहशून। ④ प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण देहशून।	कार्मिक को दुर्गम से सुगम हो चुकी है। इतः कार्मिक को स्थानान्तरण करके में दिने जमे ऐच्छिक स्थान में जमे की पूर्ण करें।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- इल्तुल ग़ाडियाल  
पदनाम- वरिष्ठ सहायक


हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- मुख्य अभियन्ता स्तर-1  
पदनाम- लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-

क्र०सं०	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	120012096011	कृष्णा सिंह, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	-	महोदय, विगत वर्ष में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून के ज्ञाप संख्या 474/05 ब्यख-स्थानान्तरण/24 दिनांक 10.06.2025 द्वारा प्रार्थी का क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा से विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून में किए गए स्थानान्तरण के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 993/2025 दायर की गई थी। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा मेरे उक्त रिट पर स्थगन आदेश (Stay order) पारित किये गये हैं, किन्तु आतिथि तक विचाराधीन रिट पर निर्णय/सुनवाई नहीं हुई है, प्रार्थी का स्थगन आदेश (Stay order) यथावत बना हुआ है। जिसके क्रम में प्रार्थी आतिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा में कार्यरत है। दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में प्रार्थी का नाम क्रम संख्या-4 पर अंकित है। अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उक्त आदेशों के क्रम में निर्णय/सुनवाई तक प्रार्थी को अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है।


Digitally signed by  
DIWAKARAN SINGH HYANKI  
Date: 11-05-2026 12:16:12

हस्ताक्षर (कार्मिक)   
नाम- कृष्णा सिंह  
पदनाम- वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)  
नाम- डी०एस० ह्यांकी, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा  
पदनाम- मुख्य अभियन्ता

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र०सं०	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	42270313M00290	महेन्द्र सिंह बिष्ट, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा	-	महोदय वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्रस्तर-17(2)(घ) के प्राविधान के अनुसार संघ के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में छूट प्रदान करने का प्राविधान है। मैं वर्तमान में अपने संगठन प्रमुख अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता मिनिस्ट्रियल संवर्ग संघ में मण्डलीय महामंत्री (कुंमाऊ क्षेत्र) के पद पर आसीन हूँ, जिसके क्रम में मुझे अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त करते हुए छूट प्रदान की जाय। संलग्न- संघ का पत्रांक-24 / मि०ए० प्रमुख / मुख्य अभियन्ता संवर्ग, दिनांक 25.04.2025।



हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- महेन्द्र सिंह बिष्ट

पदनाम- वरिष्ठ सहायक

Digitally signed by

DIWAKARAN SINGH HYANKI

Date: 11-05-2026 12:13:56

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

नाम- डी०एस० हयांकी, मुख्य अभियन्ता,

पदनाम- मुख्य अभियन्ता लो० नि० वि०, अल्मोडा